रजिस्टर्ड

संख्या–आडिट–1449 / दस–2012–366(3) / 11

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0,
संगम प्लेस, छठवां तल, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अन्तिम 08 माह (अगस्त, 2012 से मार्च, 2013 तक) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–आडिट–672 / दस–2012–366(3) / 11, दिनांक 4–4–2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम 04 माह के लिए रू0 15,88,33,000 / –(रूपये पन्द्रह करोड़ अट्ठासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं आपके पत्र संख्या–बजट / शा0–07, दिनांक 3–4–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अवशेष 08 माह (अगस्त, 2012 से मार्च, 2013 तक) के लिए प्राविधानित बजट रू0 496733 हजार (रूपये उन्नचास करोड़ सड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष उक्त अवधि के खर्चो को वहन करने के लिए रू0 32,75,36,000 / –(रूपये बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की राशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(आयोजनेत्तर)

मानक मदों का विवरण	धनराशि हजार रूपये में
01–वेतन	168032
02–मजदूरी	800
03–मंहगाई भत्ता	115942
04–यात्रा व्यय	2577
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2334
06–अन्य भत्ते	20754
08–कार्यालय व्यय	1734
09–विद्युत देय	534
10–जलकर / जल प्रभार	267
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	960
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1468
13–टेलीफोन पर व्यय	400
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	1900
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	267
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	3545
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	7
29–अनुरक्षण	1200
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	767
45–अवकाश यात्रा व्यय	67
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	596

–2 / –

47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	644
49—चिकित्सा व्यय	2667
51—वर्दी व्यय	74
योग—	327536

(रूपये बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र)

2— उपरोक्त वित्तीय स्वीकृतियां वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—1515/दस—2012—231/2012, दिनांक 9—7—2012 में लगाई गई शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य मद/सेवा पर व्यय नहीं की जायेगी। उक्त राशि संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही व्यय किया जाय और यदि नियमों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों का क्रय आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुरूप/आदेशानुरूप ही किया जायगा।

3— उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012—2013 के अनुदान संख्या—65 के लेखाशीर्षक—"2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन—आयोजनेत्तर—098—स्थानीय निधि लेखा परीक्षा—03—अधिष्ठान व्यय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या—आडिट—1449(1)/दस—2012—366(3)/11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4— एन0आई0सी0, लखनऊ।
5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
6— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।